276

384

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय सर्किट कोर्ट रीवा (म.प्र.)

Rs-20/-

R-283-II/14

निगरानी प्रकरण क्रमांक– /निगरानी/2013

गोपाल सिंह परिहार तनय स्व0 दलप्रताप सिंह परिहार उम्र– 78 वर्ष, निवासी– मुठिगवां कला, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.) ———————— आवेदक

बनाम

1. मुस0 सोनाली सिंह बेवा पत्नी तेजवली सिंह परिहार उम्र– 63 वर्ष,
2. दिनेश सिंह तनय स्व0 तेजवली सिंह परिहार, उम्र– 53 वर्ष,
3. नरेश सिंह तनय स्व0 तेजवली सिंह परिहार, उम्र– 43 वर्ष,
4. महेश सिंह परिहार तनय स्व0 तेजवली सिंह परिहार, उम्र– 30 वर्ष,
5. अमरेश सिंह परिहार तनय स्व0 तेजवली सिंह परिहार, उम्र– 33 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम– जमोड़ी कला, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.) ———————— अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर महोदय तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.) के राजस्व प्रकरण क्रमांक 125/ निगरानी/2011–12 में पारित आदेश दिनांक– 29.07.2013 जिसके आधार पर आवेदक की निगरानी निरस्त की गई है।

निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य

(क) यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक तहसीलदार गोपदबनास, जिला– सीधी के राजस्व प्रकरण क्रमांक– 27/अ–74/2008–09 पारित आदेश दिनांक– 16.08.2010 के विरूद्ध इस आधार पर निगरानी प्रस्तुत की गई थी कि आवेदक और अनावेदक क्रमांक– 1 के पति व शेष अनावेदकगण के पिता तेजवली सिंह

(276)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–283-II / 14** जिला–सीधी

गोपाल सिंह परिहार / मु0 सोनाली सिंह

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संजय तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 125 / निग0 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 29.07.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा) सदस्य	